

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1771

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 26, 2015/चैत्र 5, 1937

No. 177]

NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 26, 2015/CHAITRA 5, 1937

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग)

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 26 मार्च, 2015

सा.का. नि. 228(अ).—भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i)में प्रकाशित भारत सरकार, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की अधिसूचना, संख्या सा.का.नि. 727(अ), दिनांक 15 अक्तूबर, 2014 [सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (पैंकेजिंग एवं लेबलिंग)संशोधन नियमावली, 2014] की अधिसूचना में:—

नियम 1 के उप-नियम (2) के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा नामत:

"(2) से उस तारीख को प्रवृत्त होंगे जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे।"

> [फा. सं. पी-16011/05/2012-पीएच-I] के. सी. सामरिया, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health and Family Welfare)

CORRIGENDUM

New Delhi, the 26th March, 2015

G.S.R. 228(E).—In the notification of Government of India, Ministry of Health and Family Welfare, No. G.S.R. 727(E) dated 15th October, 2014 [Cigrettes and other tobacco Products (Packaging and Labelling) Amendment Rules, 2014], published in Part II, Section 3, Sub-section (i) of the Gazette of India, Extroardinary:—

For sub-rule(2) of Rule 1, the following shall be substituted, namely:—

"(2) They shall come into force on such date as the Central Government may, by notification in the Official Gazette, appoint."

[F. No. P-16011/05/2012-PH-I]

K. C. SAMRIA, Jt. Secy.